...यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ना–पत्र संख्या :–169 / 2021 | दायर दिनांक: 29.10.2021

CMS NO:- 2021/308 | पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. अरूण कुमार आ0 रामस्वरूप जाति ब्राह्मण नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ।
2. संतोष देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप जाति ब्राह्मण नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल आ0 बिशना जाति बैरवॉ नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ।
2. अशोक कुमार आ0 रामस्वरूप जाति ब्राह्मण नि0 दुगारी तहसील नैनवॉ।
3. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गुर्जर।

निर्णय दिनांक 20.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दुगारी मे प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी संख्या 2 के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 5026 / 1349 रकबा 0.8090 हैक्टयर स्थित है जिसमे आने जाने का एक रास्ता नहर के सहारे सहारे होकर पूर्व दिशा की ओर से निकली नहर के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 1350 के दक्षिण की ओर से पश्चिम की आरे घुमकर खसरा नम्बर 5026 / 1349 मे पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि उक्त रास्ता सेंकडो वर्ष पुराना है जिसमे होकर आने जाने कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थीगण के खेतों मे पहुंचने का नही है। उक्त रास्ता 12 फीट चौडा है जो संकडा पडता है जिसे 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए।

यह कि प्रत्यार्थी संख्या 1 रास्ता अवरूद्व करने के लिए प्रयत्नशील है जिसकी पूर्ति के लिए उसने तारबंदी करने के लिए पीलर आदि गाढने लगा तो प्रार्थीगण ने बमुश्किल रोका। प्रत्यार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के आवागमन मे भी आडे फिरता है तथा रास्ते को काफी खेत मे मिला लिया है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित रास्ते को 15 फूट चौडा करवाकर प्रार्थीगण के खेतों मे जाने का रास्ता घोषित कराकर राजस्व अभिलेखों मे रास्ते के रूप मे दर्ज करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 5026 / 1349 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ